

षोडश माला, खंड 19, अंक 20

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2016

21 श्रावण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 19, नौवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)
अंक 20, शुक्रवार, 12 अगस्त, 2016 / 21 श्रावण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
¹ तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 387	9-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 388 से 400	38
अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600	

¹ किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 39-72

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश 73

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

विवरण 74-75

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

12^{वां} प्रतिवेदन 76

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

198^{वां} प्रतिवेदन 77

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 78-80

- (1) आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 84^{वें} और 91^{वें} प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री श्रीपाद येसो नाईक

78

- (2) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 12^{वें} और 15^{वें} प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मनसुख एल. मांडविया

79

- (3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे से 9^{वें} प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे

80

अध्यक्ष द्वारा संकल्प

जम्मू और कश्मीर में शान्ति एवं सामान्य स्थिति
बहाल किए जाने के बारे में

84-85

विदाई उल्लेख

86-89

राष्ट्रगीत

89

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2016 / 21 श्रावण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुई]

[अनुवाद]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : उदित राज जी, आज क्या बात है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भूरिया जी, बैठिए। आप सब बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको अनुमति दूँगी।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे**प्रश्नों के मौखिक उत्तर²**

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल, श्री विद्युत वरण महतो।

(प्रश्न संख्या 381)

श्री विद्युत वरण महतो : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। आज विश्व में सबसे घातक रोग यदि कोई तेजी से बढ़ता जा रहा है तो वह हृदय रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत में पूरे विश्व की तुलना में सवारधिक हृदय रोगी होंगे। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, इसलिए इस संबंध में मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार जानती है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में हृदय रोग की दवाइयां बेच रही हैं? एनजियोप्लास्टी के ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं, जिसे कोरोनरी स्टेंट कहते हैं। क्या यह बात सही है कि यह स्टेंट विदेशों में, अमेरिका में बनता है और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ तीन डॉलर यानी 150 रुपये से लेकर 180 रुपये तक है? इस स्टेंट को भारत में लाकर तीन से पांच लाख रुपये में बेचा जाता है। इसके मूल्य नियंत्रण की दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि यह प्रश्न मूलतः नली से संबंधित है और इसके लिए हमारे देश में, विशेषकर हमारा यह मंत्रालय कार्यरत है। उन्होंने कोरोनरी के बारे में एक समिति का गठन किया है, जो स्टेंट की आनिवार्यता से संबंधित एक प्रोफेसर वाई.के.गुप्ता, विभागाध्यक्ष हैं और जो थर्मोकॉलोजी के प्रोफेसर हैं, उनको

² * प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच हुई है। इसके बाद इसके लिए रेट निर्धारण की जो प्रक्रिया है, इस कमेटी के माध्यम से उसको पूरा करने का यह एक प्रयास है। उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है।

श्री विद्युत वरण महतो : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि देश में कोरोना री स्टंट का आयात मूल्य कितना है और इसे देश में रोगियों को कितने दाम पर बेचा जा रहा है? इस स्टंट की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और कितनी पूर्ति होती है? क्या सरकार स्टंट की कीमत को एन.पी.पी.ए. के तहत नियंत्रित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके आने पर एन.पी.पी.ए. के तहत मूल्यों में कितनी कमी आएगी?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, विभाग ने यह लिस्ट जारी की है और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था है। जहां तक औषध क्षालित स्टेंट्स का सवाल है, आप देखिए तो वर्ष 2011, वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में रेटों का जो निर्धारण हुआ था, उसमें इसकी कीमत 23,625 रुपये है। अगर आप पिछले इसके पिछले दामों को देखिए तो यह सबसे कम है। वर्ष 2011 में इसकी कीमत 65,000 रुपये थी, लेकिन आज यह 23,625 रुपये है। यह बहुत बड़ा अंतर है और मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष 2016 में भी इसकी कीमत 23,625 रुपये आंकी गई है। हमारे पास यह रेट मौजूद है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री आनंदराव अडसुल - उपस्थित नहीं।

श्री बी. विनोद कुमार

श्री बी.विनोद कुमार: महोदया, यह एक स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने उप-समिति की सिफारिश को स्वीकार किया है और उन्होंने स्टेंट को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया है। पेसमेकर, ऑर्थो इम्प्लांट, सी.टी. और एम.आर.आई. स्कैन जैसे कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण हैं, जो निदान के साथ-साथ प्राण घातक रोगों की रोकथाम और इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना

चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे जीवनरक्षक उपकरणों को सूचीबद्ध करने और उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की एक राष्ट्रीय सूची बनाने के संबंध में किसी नीति पर कार्य कर रही है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची कीमतों पर अंकुश लगाती है। इसी तरह, क्या सरकार आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की राष्ट्रीय सूची जैसी कोई नीति तैयार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, यह एक प्रक्रिया है। समय-समय पर हम देश के प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। जो सिफारिशें आती हैं, उन सिफारिशों को ध्यान में रख कर दवाइयों को उस सूची में डालने का काम सरकार करती रहती है।

[अनुवाद]

डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। [हिन्दी] सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि आज तक हम कम्यूनिकेबल डिजीजेज से लड़ते आ रहे हैं, ऐसी हालत में नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीजेज, जिन्हें हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसे रोगों का एन.एल.ई.एम. में समावेश करना सरकार की तरफ से बेहद सराहनीय कदम है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि एन.एल.ई.एम. में कोरोनारी स्टेटस की क्या कीमत निर्धारित की गई है? महोदया, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं। अगर हमें 'अमृत' स्टोर्स की स्टेटवाइज लिस्ट उपलब्ध हो जाए, जिससे यह पता चले कि ये स्टेट में कहां-कहां पर उपलब्ध कराये जायेंगे तो अच्छा होगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से इनको लिंकड अप किया जाये तो रोगियों को काफी सुविधा होगी, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव भी देना चाहती हूं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, 'अमृत' सरकार की एक नई पहल है। सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण उपचार, इसके तहत हम कार्डिएक की दवा, कैंसर की दवा और दूसरी दवाइयां देते हैं। अभी तक सेन्ट्रल

इंस्टीट्यूशंस में इसकी नौ शॉप्स खुली हैं। आने वाले एक महीने में सभी सेन्ट्रल इंस्टीट्यूशंस में इसकी शॉप्स खुल जायेंगी। हमारी इच्छा 300 'अमृत' मेडिसिन की शॉप्स खोलने की है। उसके लिए हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेज और हॉस्पिटल्स में हमें जगह दें, उस जगह पर हम 'अमृत' खोलेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि 'अमृत' आउटलेट से करीब 20 करोड़ रु. की दवाइयां बिकी हैं, उसमें रोगियों को लगभग सात करोड़ रुपये देने पड़े हैं, यानी रोगियों को 13 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा खोलें। हम ने स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेज और स्टेट के हॉस्पिटल्स को कहा है कि, [अनुवाद] कृपया हमें जगह दें। हम इस समय 300 अमृत आउटलेट खोलने के लिए तैयार हैं। [हिन्दी] जैसे-जैसे जगह और जगह मिलेगी, वैसे-वैसे हम इन्हें खोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए. अनवर राजा: धन्यवाद, महोदया भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका मानव संसाधन इसकी प्रमुख संपदा है। लेकिन भारतीयों को आनुवंशिक रूप से हृदय रोग होने का खतरा रहता है। केवल अमीर लोग ही बाजार से महंगे स्टेंट खरीदने का खर्च उठा सकते हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री कोष से कुछ निधि आम लोगों को दी जाती है लेकिन यह इलाज पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ऐसी ही कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और डॉक्टर बी. सोमाराजू ने संयुक्त रूप से 1994 में लगभग 7,000 रुपये की लागत वाले कलाम-राजू स्टेंट का आविष्कार किया था।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 45 मिलियन हृदय रोगी हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें से, 14 मिलियन शहरी युवा हैं और 16 मिलियन ग्रामीण युवा हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए स्टेंट्स की आवश्यकता है। वैज्ञानिक उपलब्धियां तभी लाभकारी होती हैं, जब वे आम आदमी तक पहुँचती हैं। विज्ञान में नए नवाचार को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

ऐसी परिस्थिति में, केंद्र सरकार पहल क्यों नहीं करती है और इन स्टेंट्स के पेटेंट अधिकार प्राप्त कर निःशुल्क उपचार के लिए उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों नहीं कराती है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, इस संबंध में दो पहलें की गई हैं। पहली यह है कि हमने सी.जी.एच.एस. में स्टेंट की अधिकतम कीमतें निर्धारित की हैं। सी.जी.एच.एस. में ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की अधिकतम कीमत 23,000 रुपये है; बेयर मेटल कोबाल्ट-क्रोमियम सहित कोटेड और अन्य स्टेंट की कीमत 12,000 रुपये है; बेयर मेटल गैर-कोरोनरी वैस्कुलर स्टेंट की कीमत 10,000 रुपये है और बेयर मेटल स्टेनलेस स्टील कोरोनरी स्टेंट की कीमत 10,000 रुपये है। सी.जी.एच.एस. में कीमतों की इस सीमा के कारण ही दरें नीचे आई हैं।

अब, जब हमने इसे आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया है और एन.पी.पी.ए. द्वारा इस पर विचार-विमर्श किए जाने के बाद, निश्चित रूप से स्टेंट की कीमतें कम होने वाली हैं। अमृत दुकाने खुलने से अलग-अलग कंपनियों के स्टेंट्स की कीमतों में 73 प्रतिशत, 76 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 77 प्रतिशत की कमी आई है। अमृत दुकानों के कारण ही कीमतें कम हुई हैं और हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे हम और अमृत दुकानें खोलते जाएंगे, कीमतों में और कमी आएगी।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेटी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। हमारे देश को बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों पर रोकथाम लगाने में सफलता मिली है, लेकिन आज कल हार्ट के आपरेशन और घुटनों के आपरेशन में मुम्बई जैसे शहर में 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए अंडर दि टेबल लिये जाते हैं। मैं मंत्री जी को आने वाले दिनों में इन डाक्टरों के नाम भी देना चाहूंगा। मैं इतने बड़े पवित्र मंदिर में ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई नया मैकेनिज्म सैटअप करेंगे, जिसमें सामान्य लोगों की बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पतालों में भी हो सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सभी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भारत सरकार का काम है, टेक्निकल सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, रेग्युलेट करना और सर्विलेंस रखना। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को

एक मॉडल एक्ट बनाकर हमने राज्यों को दिया है। इसका पालन करना और इसे अपनाना राज्यों पर निर्भर करता है। अगर राज्य इसे अडॉप्ट करते हैं, तो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये सभी प्रोविजन्स किए गए हैं, जिनके तहत कोई चीज अंडर दि टेबल नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकारों से निवेदन करूंगा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करें।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 382, श्री दुष्यंत चौटाला।

आज सत्र के आखिरी दिन आपका प्रश्न आ गया है।

(प्रश्न संख्या 382)

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला: माननीय महोदया, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20^{वें} प्रतिवेदन के अनुसार, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि पिछले आठ वर्षों में 87 दुर्घटनाएँ हुईं, यानी हर साल 10 से ज्यादा दुर्घटनाएँ, जिसमें 75 लोगों की जानें गई हैं। ये आंकड़ें मई, 2016 से पहले की अवधि के हैं। एक ओर समिति ने यह पाया है कि हमारी सेनाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, वहीं दूसरी ओर, हम ऐसी घटनाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को खो रहे हैं। हाल ही में हमारी जानकारी में बंगाल की खाड़ी में हुई एक दुर्घटना आई है जिसमें 29 अधिकारियों और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले कर्मचारियों के साथ एक ए.एन.-32 विमान लापता हो गया है।

एक ओर, समिति कहती है कि हमें अपनी वायुसेना को एक दुर्घटना-रहित क्षेत्र बनाना होगा, वहीं दूसरी ओर, वायुसेना के वरिष्ठ एयर मार्शल यह कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं हैं, साथ ही हमारे स्क्वाड्रन की संख्या, जो 42 होनी चाहिए थी, वह केवल 33 है। समिति द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जाने के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय ने हमारी भारतीय सेनाओं को दुर्घटना-मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ, क्योंकि वे हाल ही में हुई दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं, कि वर्ष 2007 से वर्ष 2016 के बीच 95 श्रेणी I दुर्घटनाएँ हुई हैं, लेकिन जब आप इन दो वर्षों की तुलना पिछले लगभग नौ वर्षों से करेंगे, तो आप पाएंगे कि पिछले दो वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। हालांकि, इस ए.एन.-32 विमान दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें विमान लापता है, अन्य दुर्घटनाओं में तुलनात्मक रूप से कम जनहानि हुई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 95 श्रेणी I दुर्घटनाओं में से 47 दुर्घटनाएँ मिग विमान से संबंधित हैं। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं

क्योंकि 11 लड़ाकू स्क्वाड्रन एम-21 और एम-27 मिग विमानों से सुसज्जित हैं लेकिन आगामी वर्षों में इनकी परिचालन अवधि समाप्त होने वाली हैं।

हमने अन्य चीजों की खरीद में तेजी लाकर इस चुनौती का समाधान किया है। उन्होंने एस.यू.-30 एम.के.आई., हल्के लड़ाकू विमान - एल.सी.ए., राफेल विमान, बहुत भारी परिवहन विमान, विशेष ऑपरेशन विमान, हमलावर हेलीकॉप्टर, भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर को शामिल करने की योजना बनाई है। इस तरह, कम से कम 40 फाइटर स्क्वाड्रन सम्मिलित किए जा रहे हैं। साथ ही जो भी कमियां होंगी, उन्हें निश्चित रूप से दूर किया जाएगा।

आज, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन और पर्याप्त लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह हमारे पास रिप्लाय में आया था। मैं चाह रहा था कि वे थोड़ा संक्षेप में देश को बतायें कि जब हमारे पास एक लिमिटेड मैनपावर है। हम अभी भी सुधार नहीं कर रहे हैं।

माननीय रक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा में जवाब देते हुए कहा था [अनुवाद] हमारा वार्षिक अनुपात देश में सबसे कम है, जो हर 10,000 उड़ान घंटों पर 0.23 है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 0.023 है। इसलिए, हमारे पास यह अनुपात अंतराष्ट्रीय मानकों से दस गुना अधिक है।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अप्रैल, 2014 से अगस्त, 2016 तक इंडियन एयरफोर्स में 14 क्रैशिंग हुए हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद में हमारी डिफेंस फोर्स के कर्मचारियों की जानें गईं, मगर आज तक किसी भी अफसर या कर्मचारी को, जिनकी इन एक्सिडेंट्स में जान जाती है, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठायेगी, क्योंकि वे भी हमारे देश के सैनिक, जवान और अफसर हैं, जो इस देश की सेवा के दौरान ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, परंतु उस कारण उनकी जान जाती है तो क्या भारत सरकार उन्हें भी शहीद का दर्जा देने का काम करेगी और उनके परिवारों की मदद करने का काम करेगी?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): महोदया, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि इस ए.एन.-32 घटना को छोड़कर, पिछले 24 महीनों में कोई जनहानि नहीं हुई है। इसलिए, जो भी संकट आया है, उससे कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने जो आंकड़ा उद्धृत किया है, वह पिछले वर्षों का है।

दूसरी बात, उन्होंने 0.112 अंतरराष्ट्रीय आंकड़े के बारे में कहा। यह कोई अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है; यह मुख्य रूप से अमेरिकी वायु सेना का आंकड़ा है जिसे वे उद्धृत कर रहे हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला: आपने राज्य सभा में कहा था कि डोर्नियर में भी हमें जनहानि हुई है।

[हिन्दी]

श्री मनोहर पर्रिकर : डोर्नियर प्लेन कोस्ट गार्ड का है और डिफेंस फोर्सेज में कोस्ट गार्ड नहीं आते। एयरफोर्स का जो क्रैश हुआ है, एयरफोर्स के क्रैशिज में पिछले दो वर्ष में सिर्फ ए.एन. - 32 को छोड़ कर एक भी लाइफ नहीं गई है। [अनुवाद] वर्ष 2015 के लिए अमेरिकी वायु सेना का 0.112 प्रति 10000 घंटों का यह आंकड़ा निश्चित रूप से हमारे आंकड़ों से बेहतर है। वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के हमारे आंकड़ें क्रमशः 0.29, 0.40 और 0.22 थे; इसलिए, हमने अपने आंकड़े को कम किया है। दूसरी बात, अमेरिकी वायु सेना के आंकड़ें बेहतर हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके उड़ान घंटे काफी लंबे होते हैं। वे दस घंटे तक उड़ान भरते हैं अतः परिणामी दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाता है। सामान्य दुर्घटना का जोखिम उड़ान भरने और उतरने के समय अधिक होता है। इसलिए, वे लंबे समय तक उड़ान भरते रहते हैं। हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है लेकिन उन्हें वैसी आवश्यकता है। ये दो कारक निश्चित रूप से एक अंतर उत्पन्न करते हैं। हम विमान का बेहतर रख-

रखाव करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्चस्त करता हूँ कि जब तक कोई विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं होता है, तब तक उसे उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला: सर, एक्सिडेंट से मरने वाली बात का आपने जवाब नहीं दिया? ...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, उसके हिसाब से जो उसमें आ जाते हैं, उनको बैनीफिट मिलता है।

[अनुवाद]

डॉक्टर एम. तंबिदुरै: माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री दुष्यंत चौटाला ने अपने पहले अनुपूरक प्रश्न में उस विमान के संबंध में एक प्रश्न उठाया, जो ताम्बरम से अंडमान जा रहा था और उसमें 29 अधिकारी सवार थे। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने सदन में वक्तव्य भी दिया है। इसके बाद क्या हुआ? मंत्रालय द्वारा की गई जांच और खोज अभियानों की स्थिति क्या है? क्या उन्हें कोई सुराग मिला है? उन 29 अधिकारियों का क्या हुआ जो लापता हो गए हैं? क्या आपको कोई पुष्ट जानकारी मिली है या आपको पता चला है कि उनके साथ क्या हुआ था? स्थिति क्या है? उनके परिवार वालों को उनकी काफी चिंता है। यह एक गंभीर घटना है, जो चेन्नई में हुई थी। इसलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें बताएं कि उस दिन जो दुर्घटना हुई थी, उसके संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, मैं आपके माध्यम से सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 22 जुलाई को हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भारतीय वायु सेना सप्ताह में तीन बार ताम्बरम से पोर्ट ब्लेयर तक कूरियर सेवा संचालित करती है। यह विशेष उड़ान 22 जुलाई को पूर्वाह्न 08.30 बजे रवाना हुई। उड़ान के बाद, जब यह विमान चेन्नई से लगभग 250 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर की ओर दक्षिण पूर्व की ओर गया, तो अचानक, हमें रडार पर गरज के साथ बारिश वाले बादल या यँ कहें कि कुछ खराब मौसम क्षेत्र दिखाई दिए। यह विशेष विमान खराब मौसम से बचने के लिए रडार से सुसज्जित था। रडार ने उड़ान

को दाएं मुड़ने के लिए मार्गदर्शन दिया ताकि इससे बचा जा सके। जैसे ही उड़ान दाएं मुड़ी, अचानक विमान गायब हो गया और रडार पर उससे हमारा संपर्क टूट गया। इसलिए, तत्काल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने का आदेश दिया गया।

अब तक कुल 200 उड़ानें/898 घंटे की समय अवधि वाली भरी जा चुकी हैं। तैनात किए गए वायु संसाधनों में छह पी8आई विमान, दो डोर्नियर डी.ओ.-228 विमान, भारतीय नौसेना के छह हेलीकॉप्टर, तीन ए.एन.-32 विमान, तीन सी-130 विमान, दो एवरो विमान, दो एम.आई.-17 वी5 हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल के छह डोर्नियर डू-228 विमान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 विमान भी तैनात किया गया था। इसके अलावा, 18 भारतीय नौसेना जहाज, आठ भारतीय तट रक्षक जहाज और एक पनडुब्बी को खोज क्षेत्र में तैनात किया गया है। एस.ए.आर. क्षेत्र से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों के साथ-साथ स्थानीय मछुआरा समुदायों से भी कहा गया था कि वे किसी भी जीवित बचे हुए व्यक्ति या मलबे का पता चलने पर रिपोर्ट करें।

समन्वित सतह और हवाई खोज के परिणामस्वरूप, तीन तेल रिसाव वाले क्षेत्र, 24 ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट और 30 तैरती हुई वस्तुएं पाई गईं। जहाजों और विमानों द्वारा इनकी पूरी जांच की गई, लेकिन लापता भारतीय वायुसेना के ए.एन.-32 विमान से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दुर्भाग्यवश, अब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है।

डॉक्टर एम. तंबिदुरै: मैं जानना चाहूंगा कि वे जीवित हैं या नहीं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे कैसे उत्तर दे सकते हैं? वे उत्तर नहीं दे सकते।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: इस तरह की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह एक विमान दुर्घटना प्रतीत होती है। जिस ऊंचाई पर यह था, वह 3.5 किलोमीटर, यानी 3500 मीटर थी। उस ऊंचाई पर, पनडुब्बी के लिए भी विमान का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है।

मैं इस तरह के अन्य उदाहरण भी उद्धृत कर सकता हूँ। आपको याद होगा एक मलेशियाई विमान एमएच 370 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। करीब डेढ़ वर्ष पहले हिंद महासागर में ये दुर्घटना हुई थी जिसकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन वे उसका कोई अता-पता नहीं लगा सके। अटलांटिक महासागर में एयर फ्रांस विमान की एक और दुर्घटना हुई थी, जो दो वर्ष बाद मिला था। इसी तरह के एक मामले में, सी.जी. डी.ओ. 921, 8 जून, 2015 को बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया था। 34 दिनों के बाद इस विमान का पता लगा लिया गया था। जहां तक कार्मिकों के जीवित बचे रहने की बात है, तो इतने दिनों के बाद इसकी संभावना नहीं है। लेकिन फिर, तत्काल संबंधियों और परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया। अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन की जानकारी दे रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। खोज जारी है। जब तक हमें कोई कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक हम खोज को जारी रखेंगे।

श्री थोटा नरसिम्हम: महोदया, हाल ही में रूसी विमान ए.एन.-32 के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण हैं? अभी माननीय उपाध्यक्ष जी एवं श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी ने इसके बारे में पूछा था। इसी वर्ष 22 जुलाई को भारतीय वायुसेना का हल्का सैन्य परिवहन विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में विजाग के नौ कर्मियों सहित 29 सैन्यकर्मी सवार थे। क्या यह सत्य है कि उसी विमान में उसी महीने में तीन तकनीकी खराबियाँ पाई गई थीं? क्या यह भी सच है कि मिग-21 विमान जो वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा है, उसे फ्लाइंग ऑफेंस कहा जाता है? यदि हां, तो सरकार की उन्हें बदलने की क्या योजना है? सरकार स्वदेशी युद्धक विमान उत्पादन को आयातों के मुकाबले बेहतर विकल्प के रूप में कब मानेगी? भारतीय वायु सेना की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस को छोड़कर कोई अन्य स्वदेशी लड़ाकू विमान क्यों विकसित नहीं किया गया है? क्या इस संबंध में भविष्य की कोई योजना है?

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, मैं माननीय सदस्य को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं उनकी चिंता समझता हूँ। श्रेणी-1 की 95 दुर्घटनाओं में से 41 दुर्घटनाओं में मिग-21 शामिल था। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री की एक पहल है जिसे 'मेक इन इंडिया' कहा जाता है। इसके तहत हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। लड़ाकू स्क्वाड्रन में भी हम हल्के लड़ाकू विमान के मामले में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स

लिमिटेड के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन कर रहे हैं। हमें उस प्रकार के लड़ाकू स्क्वाड्रन मिल रहे हैं। इसके अलावा, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि राफेल, सुखोई 30-एम.के.आई. और कई अन्य के संबंध में पूंजी खरीद प्रक्रिया चल रही है। बहुत ही जल्द, 40 नए लड़ाकू स्क्वाड्रन हमारे पास होंगे। हम आकाश में अपनी शक्ति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 383. श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल।

... (व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.... ^{3*}

^{3*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(प्रश्न संख्या 383)

[हिन्दी]

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदया, कालेज और स्कूलों के छात्रों के लिए एन.सी.सी. ट्रेनिंग अनिवार्य करने के बारे में मेरा सवाल था। मुझे जो जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया है कि हमारे पास मानव शक्ति और संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से हम यह कर नहीं सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश है कि अमेरिका में, रूस में और इस्राइल में एन.सी.सी. ट्रेनिंग और सैन्य ट्रेनिंग सभी सिविलियन्स के लिए अनिवार्य है, इसलिए उनमें अपने देश के प्रति एक जज़्बा रहता है। हमारे युवाओं को अगर स्कूलों और कालेजों में एन.सी.सी. का प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनमें भी देश के प्रति एक जज़्बा हो सकता है। आप कल का एक उदाहरण देखिए तो कल दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ। वहाँ एक आदमी 90 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की और उसकी मृत्यु हो गई। अगर वहाँ से कोई एन.सी.सी. का ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी गुजरता, तो वह सौ टका उसकी हैल्प करता, उसे हॉस्पिटल में पहुँचाता। इससे उसकी जान बच सकती थी।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना है कि आने वाले दिनों में मानव शक्ति और संसाधनों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के बजट में क्या आप कुछ ऐसा प्रावधान करने के बारे में सोच रहे हैं कि स्कूलों और कालेजों में युवाओं को एन.सी.सी. की ट्रेनिंग मिले?

[अनुवाद]

श्री मनोहर पर्रिकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि जहां तक इजराइल का प्रश्न है, वहां अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण और भागीदारी है। अमेरिका में, मुझे नहीं लगता कि यह अब अनिवार्य है और रूस के मामले में मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में यदि हम एन.सी.सी. को अनिवार्य बनाते हैं, तो प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक संभावित कैडेटों की कुल संख्या शायद चार करोड़ से अधिक हो जाएगी। आज हम लगभग 13 लाख कैडेट्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं और यह संख्या बढ़कर 14 लाख कैडेट्स तक पहुँचने की संभावना है। जबकि मैं सम्माननीय सदस्य के इस विचार

से सहमत हूँ कि एनसीसी लोगों में देशभक्ति और अनुशासन को बढ़ावा देती है, मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं कि सड़क पर खून से लथपथ पड़े व्यक्ति के प्रति सहानुभूति सिर्फ एनसीसी से ही आए, यह परिवार की संस्कृति, पृष्ठभूमि और घर पर मिले प्रशिक्षण से भी आ सकती है। हालाँकि, हम विद्यालयों के लिए पैकेज एन.सी.सी. कार्यक्रम शुरू करने की संभावना की जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 15 लाख अतिरिक्त छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हम संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं इसे अनिवार्य बनाने पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ऐसा बुनियादी ढांचा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में एन.सी.सी. की 61 यूनिट्स हैं, परंतु ये वहाँ के लिए कम हैं। इनके ट्रेनिंग सैन्टर्स को अत्याधुनिक करना भी जरूरी है। एन.सी.सी. कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर सकें, क्या इसके लिए सरकार यह विचार कर रही है कि महाराष्ट्र सरकार को इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराए, ताकि यूनिट्स को अपने ट्रेनिंग सैन्टर्स और सभी एन.सी.सी. कैडेट्स को सही ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके?

श्री मनोहर पर्रिकर : माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें कि सरकार से क्या चाहिए, तो हम निश्चित रूप से और सुधार करने पर विचार कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस पर ध्यान दे रहा हूँ कि एन.सी.सी. की फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग में सुधार आ जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि लघु ईकाई के रूप में एन.सी.सी. को माना जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आज हमारे देश के बच्चे और बच्चियों को एन.सी.सी. की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें आज भी हमारे बच्चे और बच्चियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में जो भी वैकेंसी होती है, क्या एन.सी.सी. कैडेटों को उसमें बहाल करने का कोई विचार है?

श्री मनोहर पर्रिकर : उसमें एन.सी.सी. के लिए ज्यादा गुण रहते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिक्रूटमेंट के एराउंड 6-7% में एन.सी.सी. वाले रहते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। [अनुवाद] यही मुझे याद है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 384

श्री रमेश बिधूड़ी - उपस्थित नहीं।

अब, माननीय मंत्री जी।

(प्रश्न संख्या 384)

माननीय अध्यक्ष: श्री रत्न लाल कटारिया।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया: महोदया, पहले तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने फाइनेंशिएल इन्क्लूजन के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं देश के अन्दर लागू की हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी ने अपने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि स्टार्ट-अप्स और स्टैण्ड-अप्स के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी का गठन हुआ है।

महोदया, प्रधान मंत्री जी के 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्टैण्ड-अप इंडिया' कार्यक्रम के शुरू होने के पश्चात् हिन्दुस्तान के दलितों में और महिलाओं में विशेष उमंग आई है और उनका एन्टरप्रेन्योरशिप की ओर रुझान बढ़ा है। उस मीटिंग के अंदर इसकी समीक्षा की गयी है। चूंकि यह स्कीम जनवरी, 2016 में शुरू हुई है तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह रुझान किस तरह का है? किस तरह से बैंकों ने दलितों को और महिलाओं को इस स्कीम के बेनीफिट उठाने की दिशा में कदम उठाए हैं? जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने विक्की में जाकर दलित एन्टरप्रेन्योरशिप का हौसला बढ़ाया था, तो इस प्रकार के कितने कदम मंत्रालय की ओर से उठाए गए हैं, मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : स्पीकर महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 2015 को इंडिपेंडेंस डे पर 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्टैण्ड-अप इंडिया' इनिशिएटिव का उल्लेख किया था। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि स्टार्ट-अप्स का मतलब बेसिकली है - [अनुवाद] यह अवधारणा प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास, तैनाती या व्यावसायीकरण की दिशा में काम कर रही है।

[हिन्दी]

इन्होंने स्टैंड-अप के बारे में पूछा है कि इसमें दलित लोगों का क्या रुझान है। मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूँ कि स्टैंड-अप इंडिया में अभी तक प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इस देश में 1.25 लाख बैंकों की ब्रांचेज हैं। एक एस.सी., एस.टी. एंटरप्रेन्योर को और एक महिला एंटरप्रेन्योर को हर ब्रांच लोन दे और उस लोन की जो सीमा है, वह दस लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक है। अब तक जो इसमें प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनकी संख्या 800 से ऊपर है और इसके लिए बहुत अच्छा रुझान है।

[अनुवाद]

डॉक्टर शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री मेरी चिंता से सहमत हैं कि के.पी.एम.जी. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 की पहली तिमाही में भारतीय स्टार्ट-अप में निवेश में गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि निवेशकों की बढ़ती हिचकिचाहट और अधिक मूल्यांकन की चिंताओं के कारण, इस साल की पहली तिमाही में हमारी डील्स में चार प्रतिशत की गिरावट आई है और वित्त-पोषण में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि हमें स्टार्टअप्स में और अधिक पूंजी लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने 'स्टार्ट-अप इंडिया' की बड़ी पहल की है। स्मार्ट पूंजी की आवश्यकता है ताकि हम यहां अपने स्टार्ट-अप तक अनुभव और पहुंच दोनों प्राप्त कर सकें। लेकिन अपने बजट भाषण में, माननीय मंत्री ने केवल यह आश्वासन दिया कि पहले कुछ वर्षों में स्टार्टअप्स पर कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई भी स्टार्टअप पहले कुछ वर्षों में लाभ नहीं कमाने वाला है।

हमें निवेशकों को कर प्रोत्साहन और कर छूट देने की आवश्यकता है, एंजेल निवेशकों को नहीं बल्कि उन लोगों को जो स्मार्ट पूंजी लाते हैं। माननीय वित्त मंत्री से मेरा प्रश्न यह है। जैसा कि आपने उल्लेख किया है कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी धन से स्टार्ट-अप के लिए धनराशि स्वीकृत की है, तो फिर करदाताओं के पैसे को खर्च करने के बजाय हम निवेशकों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हैं, ताकि उन्हें हमारे देश में स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए कम कर का भुगतान करना पड़े और इस प्रकार 'स्टार्ट-अप इंडिया' के बड़े उद्देश्य में मदद मिले?

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): कर रियायतों के सम्पूर्ण पैकेज में, जो कि स्टार्ट-अप पैकेज का एक हिस्सा है, उदाहरण के लिए, यदि आप स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति को बेचते हैं तो पूंजीगत लाभ कर के भुगतान से छूट दी गई है। यह भी पैकेज का हिस्सा है। यह अपने आप में एक संभावित निवेशक के लिए एक प्रोत्साहन है।

जो लोग निवेश करते हैं, उनके संबंध में - मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ चूंकि यह एक नवाचार है, यह एक प्रयास और परीक्षण है - ऐसे स्टार्ट-अप्स हैं जो विफल हो जाएंगे, ऐसे स्टार्ट-अप्स भी हैं, जिन्हें बाजार से बाहर जाना पड़ेगा, और ऐसे स्टार्ट-अप्स हैं जो सफल होंगे और उनका मूल्यांकन अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाएगा। इसलिए, उन्हें एक प्रकार की सुविधा और सरलता प्रदान की गई है। वे पाँच वर्षों में से तीन वर्षों का चयन कर सकते हैं, जिसमें वे करों के भुगतान से छूट के लिए पात्र हैं और यह सुविधा स्टार्ट-अप्स को दी जाने वाली कर रियायत पैकेज के अलावा प्रदान की गई है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह निवेशकों की सुरक्षा से संबंधित है। आपकी अनुमति से, मैं पहले ही केरल में तिरुवनन्तपुरम और अलप्पुझा में पिछले कई दिनों में हुई ए.टी.एम. में हाई-टेक डकैतियों का मुद्दा उठा चुका हूँ। चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन डकैतियाँ अभी भी जारी हैं। वास्तव में, यह घटना ए.टी.एम. में सुरक्षा उपायों में खामियों को उजागर करने वाली है। चिप-आधारित ए.टी.एम. कार्ड को ए.टी.एम. के बाहर कार में बैठकर सेंस किया जा सकता है। आर.बी.आई. को लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी और समान सुरक्षा मानकों को अपनाना चाहिए। मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इस पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदया, भले ही यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूँ। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकीय प्रगति होती है, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने वालों और प्रौद्योगिकी में संध लगाने का प्रयास करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। ऐसा केवल केरल के ए.टी.एम.

के संदर्भ में ही नहीं है जिसका उन्होंने जिक्र किया है बल्कि हाल ही में एक ऐसी घटना भी सामने आई है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया गया। सौभाग्यवश इसका समय पर पता चल गया और किसी भी संभावित क्षति होने से बचा जा सका। इस प्रकार, यह मुद्दा सभी की जानकारी में आया है। आर.बी.आई. और सरकार दोनों ने तथा बैंक ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इसलिए, बैंकों की प्रौद्योगिकी प्रणाली के चारों ओर बनाई जाने वाली तकनीकी फ़ायरवॉल को और सुदृढ़ किया जा रहा है। बैंकिंग प्रणाली इस पूरे मामले पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। वे पूरी तरह से इस मामले से अवगत हैं। यदि उन प्रणालियों को हैक किया जा सकता है, तो वित्तीय सुरक्षा प्रणाली पूर्णतः खतरे में पड़ जाएगी।

(प्रश्न संख्या 385)

[हिन्दी]

कुँवर हरिवंश सिंह: अध्यक्ष महोदया, देश में इंस्टेंट नूडल्स के कई ब्रांड्स एवं इसके आतिरिक्त कई प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे बर्गर, पिज्जा इत्यादि में एमएसजी, मोनो सोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। सरकार ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर हरी बिंदी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लाल बिंदी का लेबल लगाना आनिवार्य किया है। जिस प्रकार से सिगरेट के पैकेट एवं अन्य तम्बाकू के उत्पादों पर बड़ी-बड़ी स्वास्थ्य चेतावनी होती है, उसी की तर्ज पर क्या सरकार एमएसजी युक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट पर विशिष्ट लेबलिंग की व्यवस्था को अपनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जैसी चिंता जाहिर की है, भारतीय खाद्य संरक्षा मानक आधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में इस कानून को बनाया गया था, इसके उपरान्त वर्ष 2008 में पहली बार खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई और वर्ष 2011 में इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि यह कानून अपने ढंग से प्रभावी तरीके से आगे कार्रवाई करेगा।

कुँवर हरिवंश सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की एकमात्र जिम्मेदारी दिशा-निर्देश जारी कर खानापूर्ति करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारों द्वारा उन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने हेतु उनके पास पर्याप्त मात्रा में मानव शक्ति, उन्नत प्रयोगशालाएं, बजट एवं अन्य साधन हैं या नहीं। राज्य सरकारों के पास इन संसाधनों की भारी कमी है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश को आधिक वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में चिन्ता जाहिर की है। हम समय-समय पर इस पर कार्रवाई करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की स्थापना करना इसका मूल लक्ष्य है। मुझे लगता है कि हम इस बारे में राज्य सरकारों की जितनी मदद कर सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश होती है। राज्य सरकारों को इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य से संबंधित विषय है।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। यह मूल रूप से खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भंडारण और वितरण को नियंत्रित करता है। इस सभा में उपस्थित सभी लोग दूध का सेवन करते हैं। महोदया, आजकल दूध 68 प्रतिशत मिलावटी है। इसमें कास्टिक सोडा, ग्लूकोज या अन्य मिलावट कर इसे खराब किया जा रहा है। माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी आज सभा में उपस्थित हैं। उन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सरकार ने दुग्ध उत्पादों की जाँच करने के लिए एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। हर बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है कि खाद्य मानकों का प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है और अनुसंधान और विकास केंद्र द्वारा किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय दुग्ध उत्पादों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। दुग्ध उत्पादों की जांच करने के लिए जी.पी.एस. आधारित प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक पायलट योजना राजस्थान के पिलानी में शुरू की गई है। इस तरह की जांच टीमों को भारत के अन्य हिस्सों में भेजा गया है। क्या मंत्रालय अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए भी जी.पी.एस. आधारित इस तकनीक को अपनाने का विचार रखता है?

[हिन्दी]

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, हमारा काम मानक तैयार करना है, लेकिन राज्य सरकारें इसका ठीक से पालन करें, यह चिन्ता उन्हें करनी चाहिए। जहां तक लैबों का सवाल है, इस समय देश में अलग-अलग श्रेणी, जैसे प्राइवेट आदि मिलाकर 198 लैब्स काम कर रही हैं। इस मानक के आधार पर राज्य सरकारों को ध्यान रखना चाहिए।

श्री धर्म वीर गांधी: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न सिर्फ खाद्य पदार्थों के मामले में, बल्कि दवाइयों के मामले में भी हमें वैज्ञानिक पहुंच बनानी चाहिए। आज एविडेंस बेस्ड मैडिसिन का युग है। हर नया मॉलिक्यूल जो मार्केट में आता है, वह बहुत ट्रायल के बाद आता है - एनिमल ट्रायल्स होते हैं, श्री स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। आज बहुत से आचार्यों और बाबाओं के प्रोडक्ट्स मार्केट में धड़ाधड़ आ रहे हैं। क्या वे उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं? जब तक उन सभी प्रोडक्ट्स का ह्यूमन ट्रायल और एनिमल ट्रायल का प्रमाण नहीं मिलता, वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता, तब तक उन सबको हटाना चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित दवाइयां मिल सकें।

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, मैंने बार-बार कहा है और सरकार की चिन्ता है कि जो मानक तैयार किए जाते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट उन मानकों के आहित में होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। यह एक पक्ष है, इस पर हम हमेशा कार्रवाई करते हैं। अगर मानक के अग्रेस्ट मार्केट में दवा आती है तो सरकार उस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करती है।

[अनुवाद]

श्रीमती आर. वनरोजा: महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां एफ.एस.एस.ए.आई. दिशानिर्देशों में खामियों का लाभ उठा रही हैं और वे कानूनी लड़ाई से भी उबरने में सक्षम हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि एफ.एस.एस.ए.आई. दिशानिर्देशों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, उत्पाद के मानकों और परीक्षण सुविधाओं में सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उक्त कारक को ध्यान में रखते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. नए मानक लेकर आया है जो अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अब उन पर टिप्पणी करना हमारा काम है। इन नए मानकों में सामग्री, गुणवत्ता, सुरक्षा मापदंडों और कच्चे माल की सुरक्षा के बारे में संकेत से संबंधित मुद्दे

शामिल हैं। इन तीन मुद्दों पर विचार किया गया है। अब यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हम उसी के अनुसार मानकों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं।

हम यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक मानकों का संबंध है, प्रसंस्करण के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा जाए। इसलिए, ये सब किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कंपनियां इसका पालन कर रही हैं।

नए मानक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। जनता की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद, हम उन्हें अधिसूचित करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका तदनुसार पालन किया जाए।

(प्रश्न संख्या 386)

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, ईडी का मामला कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़ा गया, इसकी सीबीआई द्वारा जांच भी हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ईडी का केस रजिस्टर हुआ है या नहीं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : हमारी सरकार आने के बाद पूरी सक्रियता के साथ कदम उठाया था। पहली कैबिनेट बैठक में इस ओर प्रभावी कदम उठाने का काम किया था। ईडी जिस तरीके से मामले को देखता है, फेमा के तहत विदेशी मुद्रा विनिमय के आवागमन में आनियमितता बरती जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों में 2321 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और सवा दो सौ करोड़ की पैनल्टी भी लगाई गई है। इसके आतिरिक्त प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ऐसे सारे मामलों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर माननीय सदस्य को कहीं कोई बात नजर आती है तो उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, के.आर.मंगलम स्कूल के वरीय पदाधिकारीगणों का इन्वोल्वमेंट है। हमने इसी विषय पर प्रश्न किया था। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर वह कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो उसे बाद में देंगे। मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद से ही इस मामले में बहुत सतर्क है। पहली कैबिनेट बैठक में ही एसआईटी का गठन किया गया और उसके हिसाब से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद अगर माननीय सदस्य जी को कोई विशेष जानकारी चाहिए तो हम उसे बाद में अवगत कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मैं जानना चाहता हूं कि क्या डीआरआई ने मुंबई में हुए बैंकिंग हवाला घोटाले से संबंधित 2240 करोड़ रुपये का पता लगाया है और क्या छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस धन के सृजन में शामिल हैं, जिसे अवैध रूप से विदेश भेजा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि पिछले दो वर्षों में कई फ़ायरवॉल बनाए

गए हैं? इसके बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक और चार अन्य बैंक शामिल हैं, जिनमें कुछ शाखाएँ भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से यह हवाला हुआ था। इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या किसी को पकड़ा गया है, क्या वह पैसा बरामद किया गया है और इन सभी फ़ायरवॉल के बावजूद, यह कैसे हो सकता है?

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): जहाँ तक इस विशेष मामले का सवाल है, जिसे माननीय सदस्य या कोई अन्य सदस्य जानना चाहते हैं, यदि वह मुझसे लिखित रूप में संपर्क करें, तो मैं मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करके, जांच के चरण और संबंधित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दूंगा और मैं इसे माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

(प्रश्न संख्या 387)

श्री पी. के. बीजू: महोदया, 29/9/2014 को, हमने आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच, आयुष शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने और 12वीं योजना के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के लिए कच्चे माल की सुचारु उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) शुरू किया गया है।

हमने 1970 के दशक में केरल में एक संस्थान शुरू किया था जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। पंचकर्म संस्थान की स्थापना आयुष की प्रत्यक्ष भागीदारी के तहत की गई थी। मैंने उस संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए आयुष को कई पत्र भेजे हैं। अब वह संस्था मुश्किल हालात का सामना कर रही है। वहाँ डॉक्टर और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री से एन.ए.एम. के अंतर्गत उस संस्थान को बचाने और सुदृढ़ बनाने का अनुरोध करना चाहता हूं, जिसका उद्देश्य उन शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों को सुदृढ़ बनाना है जो कि आयुष के नियंत्रण में हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि स्ट्रैंथनिंग करने के लिए एग्जेक्टली क्या-क्या चाहिए। प्रपोजल राज्य सरकार के जरिए आयुष मिनिस्ट्री को भेजना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रपोजल तो राज्य सरकार से आता है, इसमें 40 परसेंट इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार करती है और 60 परसेंट इन्वेस्टमेंट आयुष मंत्रालय करता है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्ट्रैंथनिंग के प्रपोजल में स्ट्रैंथनिंग के लिए 75 लाख रुपया देते हैं, जो अस्पताल पुराना होता है। मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपने प्रपोजल नहीं भेजा है तो भेजने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री पी. के. बीजू: महोदया, यह एक केंद्रीय संस्था है। मेरा मानना है कि केंद्रीय संस्थाएं पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पहलू पर ध्यान देंगे।

केरल राज्य को भगवान द्वारा सृजित प्रदेश (गॉड्स ओन कंट्री) माना जाता है। विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां मुख्यतः आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं। हम आयुर्वेदिक औषधियों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम कुछ औषधियों का आयात कर रहे हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे आयुर्वेदिक औषधीय पौधरोपण में सुधार करने के लिए राज्यों को कुछ सहायता देने के लिए कोई मिशन चलाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, नेशनल आयुष मिशन में प्लांटेशन की एक स्कीम है। जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार को इसमें 40 परसेंट इन्वेस्ट करना होता है, जबकि 60 परसेंट आयुष इन्वेस्ट करता है। सेंट्रली सैक्टर स्कीम्स में हम राज्य सरकार को प्लांटेशन के लिए 100 परसेंट पैसा देते हैं। इसी तरह एनजीओज को भी 100 परसेंट पैसा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दस सालों में आयुष, आयुर्वेद या बाकी सभी पैथीज में रॉ मैटीरियल चाहिए, तो वह पेड़ों से ही मिलता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वे सेंट्रली सैक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के तहत हमारी स्कीम अवेल करें और हमारा रॉ मैटीरियल बढ़ाने के लिए ट्री प्लांटेशन करें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, धर्मेन्द्र यादव, सुदीप बंदोपाध्याय और के.सी.वेणुगोपाल से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनके लिए सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाए जा सकते हैं।

इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं की है।

4प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 388 से 400
अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600)

⁴ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।

<https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.02 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 के लिए मध्यम अवधि व्यय ढांचा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5170/16/16]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5171/16/16]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5172/16/16]

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5173/16/16]

(2) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यक्रम के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5174/16/16]

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण आधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्त सलाहकार) विनियम, 2016 जो 17 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए. 12 /आर.जी.एल./139/1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5175/16/16]

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक आधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

- (5) उपयुक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5176/16/16]

- (6) डिपॉसिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5177/16/16]

- (7) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5178/16/16]

- (8) आईडीबीआई बैंक, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5179/16/16]

- (9) बैंककारी विधि (संशोधन) आधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक आधिनियम, 1955, की धारा 40 की उपधारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) आधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) आधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5180/16/16]

- (10) (एक) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5181/16/16]

- (11) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के 46वां मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5182/16/16]

- (12) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली आधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी आधिसूचना संख्या का.आ. 1641(अ) जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एर्नाकुलम में ऋण वसूली आधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5183/16/16]

- (13) आयकर आधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2016, जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2016, जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 1101(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2016, जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 1206(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1948 (अ) जो 02 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की आधिसूचना संख्या का.आ. 709 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2016, जो 22 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 2179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 2226(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5184/16/16]

- (14) सीमा शुल्क टैरिफ आधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत आधिसूचना सं. सा.का.नि. 727(अ) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक उसमें उल्लिखित कतिपय रबर कमिकल्स के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क के उद्ग्रहण को और एक वर्ष की अवधि तक अर्थात् 27 जुलाई, 2017 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5185/16/16]

- (15) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत आधिसूचना सं. सा.का.नि. 524(अ) जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम बनाए जाने वाली धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा 1.7.2012 से 19.08.2014 की अवधि के दौरान प्रदान

की गई सेवा, जब उस अवधि के संबंध में उत्त सेवा पर सेवा कर का संदाय किए जाने का प्रचालन नहीं था, के संबंध में वित्त आधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत देय सेवाकर में छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5186/16/16]

- (16) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) आधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या. एल.टी. 5187/16/16]

(दो) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5188/16/16]

(तीन) वर्ष 2015-16 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5189/16/16]

(चार) वर्ष 2015-16 के लिए देना बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5190/16/16]

(पांच) वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5191/16/16]

(छह) वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5192/16/16]

(सात) वर्ष 2015-16 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5193/16/16]

(आठ) वर्ष 2015-16 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5194/16/16]

(नौ) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5195/16/16]

(दस) वर्ष 2015-16 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5196/16/16]

(ग्यारह) वर्ष 2015-16 के लिए कार्पोरेशन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5197/16/16]

(बारह) वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5198/16/16]

(तेरह) वर्ष 2015-16 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5199/16/16]

(चौदह) वर्ष 2015-16 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5200/16/16]

(पंद्रह) वर्ष 2015-16 के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5201/16/16]

(सोलह) वर्ष 2015-16 के लिए विजया बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5202/16/16]

(सत्रह) वर्ष 2015-16 के लिए आंध्रा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5203/16/16]

(अठारह) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5204/16/16]

(उन्नीस) वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब और सिंध बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5205/16/16]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक आधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषकों, विष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-91/1/एसपी/ (संदूषक)/एफएसएसआई/2009 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 12 फरवरी, 2016 की आधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-99/एसपी/ (संदूषक)/ एफएस एस आई/2009 में प्रकाशित हुआ है।

(2) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ.सं.1-61/एफएसएसआई/टीआर बिजनेस सी एसी/रेग/2015 में प्रकाशित हुए थे

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषकों, विष और अवशिष्ट) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसआई में प्रकाशित हुए थे।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-(94) 2015 / आधिसूचना पी एण्ड एल/ईएनफ//एफएसएसआई में प्रकाशित हुए थे।

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 14 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या पी. 15-03//ईएनफ/एफएसएसआइ/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(6) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या 03-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/आधिसूचना (खाद्य योजक) / एफ एसएसआइ-2014 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5206/16/16]

[अनुवाद]

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): मैं श्री किरन रिज्जु की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5207/16/16]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, अभियांत्रिकी (सिविल) योद्धक (समूह 'ख' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2016 जो 3 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 761(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5208/16/16]

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखाओं प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5209/16/16]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5210/16/16]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और उन्हें सूचीबद्ध करना) विनियम, 2015 जो दिनांक 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/ 2015-16/006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एसईबीआई (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 11 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/2015/ एनआरओ/जीएन/2015-16/007 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/008 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2015-16/009 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयरों को सूची से बाहर करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2015-16/010 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2015-16/011 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/012 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाध्यताओं को सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 जो दिनांक 2 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/013 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन / 2015-16/014 जो दिनांक 4 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा जिसके द्वारा "एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड" को "मेट्रोपोलिटन स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड" के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक एक्सचेंज पर विनियामक शुल्क) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 8 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/015 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) (स्टाक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 8 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/016 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 8 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/017 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम, पूंजी और प्रकटन अपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 10 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/018 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/019 जो दिनांक 14 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया) निरसन विनियम, 2015 जो दिनांक 17 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/020 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसुविधा) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 18 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/021 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन / 2015-16/022 जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(अठारह) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन / 2015-16/023 जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/024 जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/025 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 22 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2015-16/026 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाध्यताओं को सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 22 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/ 2015-16/027 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाध्यताओं को सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/002 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/003 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/004 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/005 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2016-17/006 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 27 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2016-17/007 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन / 2015-16/028 जो दिनांक 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बोर्ड का स्थानीय कार्यालय जम्मू में स्थापित किए जाने के बारे में है।

(इक्तीस) प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/029 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयरों को सूची से बाहर करना) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/030 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/031 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/032 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन / 2015-16/033 जो दिनांक 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 12 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2015-16/034 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/035 में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/036 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2015-16/037 में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/038 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5211/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (विस्तृत व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेज तथा प्ररूपों को दायर करना) संशोधन नियम, 2016 जो 5 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 397 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2016 जो 7 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 493 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2016 जो 31 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 563 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 639 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (प्रबंधन के व्यक्तियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) तीसरा संशोधन नियम, 2016 जो 19 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2016 जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. .2264 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) से (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5212/16/16]

(5) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5213/16/16]

(6) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5214/16/16]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 22)- स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5215/16/16]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) (2016 का संख्यांक 23)- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5216/16/16]

(तीन) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) (2016 का संख्यांक 24) - (अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणियां) विधान मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5217/16/16]

(चार) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2016 का संख्यांक 25)-(अनुपालन लेखा परीक्षा) पहल (डीबीटीएल) स्कीम (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5218/16/16]

(पांच) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2016 का संख्यांक 26) - (अनुपालन लेखा परीक्षा) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकायों का प्रशासनिक कार्यकरण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5219/16/16]

(छह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) (2016 का संख्यांक 27) - राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5220/16/16]

(8) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.. 681(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5221/16/16]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 404(अ) जो 6 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5222/16/16]

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2016 जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ. 2264(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5223/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5224/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5225/16/16]

(5) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलौसाफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलौसाफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5226/16/16]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो] नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5227/16/16]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5228/16/16]

(11) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों के रूप में मानित संस्थान) विनियम, 2016 जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-3/2016(सी.पी.पी.पी.आई./डी.यू.) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल/पीएचडी उपाधियां प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में खंड 2 प्रस्तावना अधिसूचना सं. एफ. सं. 1-2/2009 (ईसी/पीएस) पांच (1) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न का निवारण, प्रतिषेध और समाधान) विनियम, 2015 जो 2 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में खंड 2 प्रस्तावना अधिसूचना सं. एफ. सं. 91-1/2013 (टीएफजीएस) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता तथा उच्चतर शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए उपाय) (चौथा (4) संशोधन) विनियम, 2016 जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-2/2016 (पीएस/संशोधन) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग को नियंत्रित किया जाना (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 1-15/2009 (एआरसी) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता तथा उच्चतर शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 1-2/2016 (पीएस/संशोधन) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5229/16/16]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलीमर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5230/16/16]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.1594(अ) जो 2 मई, 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा खरीफ, 2016 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रदाय किए जाने वाले यूरिया को इंगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5231/16/16]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5232/16/16]

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5233/16/16]

(तीन) मांझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5234/16/16]

(चार) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5235/16/16]

(पाँच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5236/16/16]

(छह) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5237/16/16]

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 मई, 2016 के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 18 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर (बालिका संभाग) (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 मई, 2016 के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 19 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5238/16/16]

अपराह्न 12.05 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

डॉक्टर एम. तंबिदुरै (करूर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 7वें, 8वें और 9वें सत्रों के दौरान आयोजित 18वीं से 25वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.05 ½ बजे**सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति****विवरण**

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के 'टेलिकॉम टावरों की स्थापना हेतु सन्नियम, उसके हानिकारक प्रभाव तथा दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में सुरक्षा मानकों का तैयार किया जाना' के बारे में समिति के 53वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 13वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 15वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 14वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 20वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं

लोक सभा) के अध्याय पांच अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

- (5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 'पेड न्यूज से संबंधित मुद्दों' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 12वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
- (6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 16वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
- (7) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 19वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
-

अपराह्न 12.06 बजे**शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति****12वां प्रतिवेदन**

[हिन्दी]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित "मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार स्टेशनरी आफिस और प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण" विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.06 ½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

198वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदया, मूसलाधर वर्षा और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ के कारण चेन्नई में आई आपदा के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 198वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.07 बजे**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 84वें और 91वें प्रतिवदेनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ^{5*}

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदया, मैं आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 84^{वें} और 91^{वें} प्रतिवदेनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

^{5*} सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.5239/16/16

अपराह्न 12.07 ½ बजे

(दो) “राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों का कार्यकरण” भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 12^{वें} और 15^{वें} प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति^{6**}

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): महोदया, चूंकि विवरण लंबे हैं, इसलिए मैं सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहता। इसलिए, मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ:

- (1) “राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों का कार्यकरण” भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 12^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'जन औषधि योजना' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के 15^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

^{6**} सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या क्रमशः एल.टी 5240/16/16 और 5241/16/16

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे से 9^{वें} प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति^{7*}

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे): महोदया, मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय और रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21,22 और 23) संबंधी अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना (मांग संख्या 23) संबंधी अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 7^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित नौ सेना और वायु सेना (मांग सं. 24 और 25) संबंधी अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 8^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) रक्षा मंत्रालय से संबंधित "आयुध निर्माणियां" और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (मांग सं. 26 और 27) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 9^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

^{7*} सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 5242/16/16, 5243/16/16, 5244/16/16 और 5245/16/16।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं? श्री खड़गे जी से पहले, आप बोलना चाहते हैं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: आपने मुझे आश्चस्त किया था कि आप मुझे अनुमति देंगी।

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं। यह पूरा पृष्ठ...

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बाद में कई सारी बातें होती हैं, सुदीप जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह ठीक है। आप बाद में बात कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज सुदीप जी, बैठ जाइए। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: हम मांग करते हैं (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस तरह नहीं। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, देश के हित में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कश्मीर का मामला...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो रहा है? आप आपस में बात मत कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कश्मीर का मामला दिन प्रति दिन जटिल होता जा रहा है और वहां के हालात भी बिगड़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव इस सदन में आए, जिससे सारे देश के जनता को भी यह मालूम हो कि पूरा सदन एक है। कश्मीर के विषय में सभी की एक ही राय है और वहां पर शान्ति स्थापित करने के लिए किस-किस ढंग से क्या काम करना चाहिए। इसके बारे में अगर सरकार इस सदन से सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास कर दे तो यह अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार इस पर रेस्पोंड करे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर के संबंध में जिस प्रकार के प्रस्ताव की बात हमारे खड़गे जी ने कही है, इसी प्रकार का प्रस्ताव मैंने राज्य सभा में प्रस्तुत किया था और राज्य सभा ने सर्वसम्मति से उसे पारित किया है। वहां पर शान्ति और नॉर्मल्सी को रेस्टोर करने के संबंध में वहां की जनता से अपील की है और जो भी खड़गे जी ने प्रस्ताव रखा है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: माननीय अध्यक्ष महोदया, संकल्प को अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्य: हां, इसे अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। मैं रिजोल्यूशन पढ़ती हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। मैं इसे पढ़ूंगी।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे**अध्यक्ष द्वारा संकल्प**

जम्मू और कश्मीर में शान्ति एवं सामान्य स्थिति बहाल किए जाने के बारे में

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करती हूँ:

“कि यह सभा

1. कश्मीर घाटी में लंबे समय से चली आ रही अशांति, हिंसा और कर्फ्यू पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है;
2. वहां की बिगड़ती स्थिति के कारण लोगों की जान जाने और गंभीर रूप से घायल होने पर अपना गहरा क्षोभ और चिंता व्यक्त करती है;
3. दृढ़ और सुविचारित मत व्यक्त करती है कि एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है; साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि कानून-व्यवस्था और शांति बहाल करने तथा लोगों के दुःख-दर्द को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं;
4. जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों से सामान्य स्थिति और सौहार्द शीघ्र बहाल करने के लिए प्रयास करने की पुरजोर अपील करती है; और
5. सामान्यतः लोगों में और विशेषतः युवाओं में आत्मविश्वास बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प करती है।”

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: तो संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): धन्यवाद, महोदया।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा अवसर है जब सभा दो विषयों पर सर्वसम्मति से सहमत हुई है, पहले जी.एस.टी. विधेयक पर और अब इस संकल्प पर।

अपराह्न 12.13 बजे

[हिन्दी]

विदाई उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का नौवां सत्र जो 18 जुलाई 2016 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुईं जो 121 घंटे 23 मिनट चलीं। सभा एक वर्तमान सदस्य और कुछ अन्य पूर्व सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् 18 जुलाई 2016 को स्थगित हो गई थी।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का निपटान किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए जाने से पहले इन पर चर्चा हुई जो 4 घंटे और 53 मिनट तक चली।

वर्तमान सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं:- [अनुवाद] भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016; दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016; बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016; बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015; प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016; कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016; कराधान नियमावली (संशोधन) विधेयक, 2016; कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

[हिन्दी]

सभा में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 जिसे वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.), विधेयक भी कहा जाता है, उसमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर भी चर्चा हुई। सभा इस विधेयक पर लगभग 6 घंटे चर्चा करने के पश्चात् राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत हुई।

रेलवे कन्वेंशन कमेटी के प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी एक सरकारी संकल्प लगभग 4 घंटे की चर्चा के पश्चात् स्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान, 400 तारंकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 99 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन, लगभग प्रतिदिन 4.95 प्रश्नों यानी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 4600 अतारंकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के बारे में उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर भी बहस की गई और संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर दिया।

प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर सदस्यों ने आविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 618 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 367 मामले उठाए। स्थायी समितियों ने 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए।

स्थायी समितियों ने 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अंतर्गत आविलंबनीय लोक महत्व के विषय, कश्मीर घाटी में हाल में हुई हिंसा, मूल्य वृद्धि, एस.डी.जी., संधारणीय विकास लक्ष्य, जिस पर अभी आंशिक चर्चा हुई और देश में दलितों पर अत्याचार पर, चार अल्पकालिक चर्चाएं भी हुईं। संबंधित मंत्रियों के उत्तर के साथ तीन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा पूरी हुई।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए भी दो मामले उठाए गए जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी के ऊपर बैराज परियोजनाओं का निर्माण किए जाने के कारण कथित तौर पर ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल-प्रवाह के अत्यधिक बाधित होने और देश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफलाइटिस के फैलने से संबंधित है। ध्यानाकर्षण के उत्तर में, संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के भी उत्तर दिए।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 41 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में तीन वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 907 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के 84 विधेयक पुरःस्थापित किए गए हैं। श्री बैजयन्त पांडा द्वारा 26 फरवरी, 2016 को उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 जो कि राज्य सभा द्वारा यथापारित है, इस पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा की सहमति से 5 अगस्त को चर्चा स्थगित कर दी गई। तदनुसार, श्री विन्सेंट पाला द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के संशोधन के आशय वाला विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा 5 अगस्त, 2016 को अधूरी रह गई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु उपायों संबंधी संकल्प, जो श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा छठे सत्र के दौरान 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किया गया था, उस पर 29 जुलाई, 2016 को चर्चा आरंभ की गई जो अधूरी रही।

सभा ने एक मत से यह प्रस्ताव किया कि कश्मीर के समस्त जनमानस में, विशेषरूप से युवाओं में विश्वास पुनः स्थापित किया जाये। इस सत्र में, जबकि व्यवधानों और बाध्य सदनों के कारण 6 घंटे और 33 मिनट से अधिक का समय नष्ट हुआ। सभा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 घंटे और पांच मिनट देर तक बैठी।

भगवंत मान द्वारा सोशल मीडिया पर संसद परिसर के फुटेज को अपलोड करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है।

मैं सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारु संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी

की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं संबद्ध एजेंसियों को, जो सभा की कार्यवाही के संचालन में प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, मैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और इस बार हमारा 70वां स्वतंत्रता वर्ष शुरू हो जाएगा, इस अवसर पर भी आप सभी को तथा समस्त भारतीयों को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई देती हूँ तथा बधाई के साथ-साथ एक समर्थ, स्वावलंबी एवं सशक्त राष्ट्र बनाने में हम सब सफल हों, यह विश्वास भी व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्यगण अब हम कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि 'वन्दे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

अपराह्न 12.22 ½ बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

माननीय अध्यक्ष: सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
